न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 90 GCMS:-2014/00133 दायर दिनांक : 05.06.2014

1. देवाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. सन्तराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 91, 92(क), व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक, अभिभाषकगण वादीगण की ओर से
2. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ राजस्थान सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक : 02.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 आपस में सगे भाई हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 2 बी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 20 के पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 1 ता 25 = 25 बीघा व पत्थर नं. 95/384 के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 6.453 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त परिवार की करीब 5.00 बीघा भूमि पंजाब के गांव झुमियांवाली में थी। पिता का वादीगण व प्रतिवादी के बाल्यकाल में ही देहान्त हो जाने के कारण मामा के पास चक 2 बी.एच.एम. में आकर रहने लग गये। प्रतिवादी सं. 1, वादीगण से उम्र में बड़ा होने के कारण परिवार के सभी कार्य प्रतिवादी सं. 1 ही करता

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:24:50 IST
Reason: SelfAttested

आया है। प्रतिवादी सं. 1 ने झुमियांवाली (पंजाब) की भूमि करीब 40 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर दी थी, उस राशि से चक 2 बी.एच.एम. की उक्त भूमि का सुधार किया व खातेदारी जारी करवायी। वादीगण व प्रतिवादी इसी भूमि पर काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त कर, इसकी आय से अपने परिवार का भरण–पोषण करने लगे। वर्ष 1996 में प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को पैतृक भूमि से बेदखल करना चाहा, जिस पर पंचायत हुई, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को 7–7 बीघा भूमि की लिखत पंचायत के समक्ष बही में लिख कर दे दी एवं कब्जा वादीगण का शुरू से ही 8–8 बीघा भूमि पर चला आ रहा है। यह लिखत पंचायत द्वारा इकरारनामा लिखा गया था जिसमें यह शर्त डाली गयी थी कि वादीगण के पास जब भी रजिस्ट्री खर्च का पैसा होगा, प्रतिवादी सं. 1, वादीगण के पक्ष में बैयनामा करवा देगा। इकरारनामे के दिन से ही किलाजात का भी आपस में घरू बंटवारा कर लिया गया था जिसके अनुसार वादी सं. 1 का पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 6, 11 ता 15, 19, 20 व वादी सं. 2 का पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 16 ता 18, 21 ता 25, इस प्रकार वादीगण 8–8 बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रतिवादी सं. 1 का पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 1 ता 5, 7 ता 10 व पत्थर नं. 95/384 के किला नं. 1 की भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से मुताबिक लिखत इकरारनामा, वादीगण के पक्ष में बैयनामा तस्दीक करवाने का कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करता रहा और अन्त में इन्कार कर दिया और भूमि को औन–पौने दामों में किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी, इसलिए वादीगण के कब्जा काश्त की चक 2 बी.एच.एम. के पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 = 16 बीघा भूमि, जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादी स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे, इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद–पत्र के साथ नकल जमाबन्दी चक 2 बी.एच.एम. खाता सं. 20/18 सम्वत् 2069 ता 72 की प्रमाणित प्रति व नकल इकरारनामा दिनांक 03.12.96 की फोटो प्रति प्रस्तुत की।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब–दावा प्रस्तुत किया जिसमें वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 91, 92(क) व 188 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण जैरवाद भूमि के ना तो खातेदार कृषक हैं व ना ही गैरखातेदार कृषक हैं। खुद काश्त तथा मालिक की श्रेणी में भी नहीं आते, इसलिए वादीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। उन्हें जैरवाद भूमि में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए वे किसी प्रकार की घोषणा या टी.आई. हासिल करने के अधिकारी नहीं हैं। वाके चक 2 बी.एच.एम. के खाता सं. 20 के पत्थर नं. 94/384 में 25.00 बीघा व पत्थर नं. 95/384 के किला नं. 1 में 1 बीघा, कुल 6.453 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी अंकित है जो कि जमाबन्दी से साबित है। जैरवाद भूमि में गांव झुमियांवाली की भूमि का कोई लेना–देना नहीं है व ना ही प्रतिवादी ने किसी प्रकार की भूमि का बेचान किया है। जैरवाद भूमि प्रतिवादी को प्री 55 में आरजी तौर पर आवंटित हुई थी जिसके 15एएए आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए जो कि खातेदारी सनद की प्रति से साबित है। यह सही है कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादी ने वादीगण का पालन–पोषण किया व इनकी शादी पर जैरवाद भूमि की उपज से ही खर्च किया। अब प्रतिवादी स्वयं के बच्चे बड़े–बड़े हो गये हैं जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्रतिवादी को करनी है। वादीगण के मन में लालच आ गया है। पंचायत में 7–7 बीघा भूमि वादीगण को दिये जाने का बही में इकरारनामा लिखा जाना सरासर झूठ है, प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज लिखकर नहीं दिया व ना ही जैरवाद भूमि पैतृक है। जैरवाद भूमि प्रतिवादी की स्वयं अर्जित है। कब्जा मौका पर वादीगण का नहीं है। कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वाद में अंकित पंचायत में वादीगण को 7–7 बीघा भूमि दिये जाने व 8–8 बीघा भूमि पर कब्जा के तथ्य मेल नहीं खाते। वादीगण व प्रतिवादी के मध्य कोई इकरारनामा ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्री करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वे इसे इकरारनामा मानते हैं तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें, राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत किये गये हैं। वाद–पत्र आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. में उप–पंजीयक को पक्षकार बनाया गया है, जबकि वाद–पत्र में उप–पंजीयक को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए वाद–पत्र असंयोजन की तारीफ में आता है।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी ने अतिरिक्त निवेदन व काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि वादीगण जैरवाद रकबा के किसी तरह से टिनेंट की परिभाषा में नहीं आते, जबकि प्रतिवादी जैरवाद रकबा का अंकित खातेदार कृषक है। अंकित खातेदार के विरुद्ध अजनबी व्यक्ति को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। वादीगण के धारण में ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिसे वाद–पत्र का आधार बनाया जा सके। मात्र एक बही अथवा कच्चे कागज को वाद–पत्र की आधारशिला नहीं बनाया जा सकता। वाद–पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह वेस्ट पेपर की तारीफ में आता है, जो कानूनन कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए वाद वादीगण नियमविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने, एवं मुताबिक क्लेम वादीगण को प्रतिवादी के कब्जा में दखलन्दाजी नहीं करने व मौका पर शान्ति बनाये रखने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। जवाब–दावा के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 20/18 व सतपाल पुत्र किरताराम जाट निवासी 1 बी.एच.एम., चेतराम पुत्र हरचन्द मेघवाल निवासी 6 बी.एच.एम. व वेद प्रकाश पुत्र भानीराम सुथार निवासी 1 बी.एच.एम. के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

प्रतिवादी सं. 1 की आरे से जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वादीगण चक 2 बी.एच.एम. का किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 कुल 16.00 बीघा, जो कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित है, प्रतिवादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादी)
2. आया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित भूमि पैतृक भूमि है ? (वादी)
3. आया प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये इकरारनामा से वादी व प्रतिवादी द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया है। वादीगण का 16.00 बीघा, प्रतिवादी सं. 1 का 10.00 बीघा पर मौका पर काश्त है ? (वादी)
4. आया वाद अन्तर्गत भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है, वादीगण का कोई हक व हिस्सा बनता है ? (वादी)
5. आया इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ? (प्रतिवादी)
6. आया प्रतिवादी वादीगण के खिलाफ जरिये काउण्टर क्लेम चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

7. अनुतोष।

तनकीयात कायमी के पश्चात् साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण की ओर से सुरजाराम पुत्र ख्यालीराम नायक निवासी 6 बी.एच.एम. जाखड़ावाली, देवीलाल पुत्र मामराज मिरासी निवासी 2 बी.एच.एम., जगदीश पुत्र रूपराम नायक निवासी 2 बी.एच.एम., मुखराम पुत्र चेतराम नायक निवासी 1 बी.एच.एम., गोमदाराम पुत्र कालूराम जाट निवासी 1 बी.एच.एम. के शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये गये, जिनमें शपथकर्ताओं ने लिखत बही में अंकित तथ्य सुरजाराम की स्वीकृति से प्रतिवादी सं. 1 व शपथकर्ताओं के समक्ष लिखे जाने व बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर/अंगूठा होना स्वीकार करते हुए घरू बंटवारा में जैरवाद भूमि में से 7–7 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को दिये जाने एवं वर्तमान में 8–8 बीघा यानि कुल 16 बीघा भूमि पर वादीगण का व 10 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा बताया, जिन पर जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गयी, जिनमें भी शपथकर्ताओं ने बही इकरारनामा के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण को 7–7 बीघा भूमि देने व वर्तमान में 8–8 बीघा भूमि पर कब्जा वादीगण का होना बताया, व गांव झुमियांवाली में भी 5 बीघा भूमि पैतृक होना व उसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विक्रय किया जाना बताया, जो शामिल पत्रावली किये गये। साथ ही वादीगण स्वयं ने भी अपने शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से बृजलाल पुत्र सहीराम सुथार निवासी जाखड़ावाली, व स्वयं प्रतिवादी सुरजाराम पुत्र सहीराम के शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये, जिन पर जिरह वकील वादीगण द्वारा की गयी जिनमें प्रतिवादी सं. 1 स्वयं ने चक 2 बी.एच.एम. के पत्थर नं. 94/384 व 95/384 में 26 बीघा भूमि होना, जिसमें 10 बीघा पर प्रतिवादी सं. 1 स्वयं का व शेष 16 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा होना एवं सन् 1996 में पंचायत होने व बही में स्वयं की दस्तखत होना स्वीकार किया, लेकिन अब वो वादीगण को एक बीघा भूमि भी नहीं देना चाहता, यह भूमि उसे आवंटित हुई है। शपथकर्ता बृजलाल पुत्र सहीराम ने जिरह में जैरवादी भूमि में से करीब 6–6, 7–7 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा सन् 1997 से होना स्वीकार किया।

साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व शपथ–पत्रों की ओर ध्यान दिलाया व वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 आपस में सगे भाई हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 2 बी. एच.एम. के पत्थर नं. 94/384 व 95/384 में कुल 26 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पंजाब में गांव झुमियांवाली में संयुक्त परिवार की करीब 5.00 बीघा भूमि थी। पिता के स्वर्गवास के समय वादीगण छोटे थे। प्रतिवादी सं. 1 सबसे बड़ा है, वो ही परिवार का कर्ता था। प्रतिवादी सं. 1 ने झुमियांवाली की भूमि करीब 40 वर्ष पूर्व विक्रय कर दी, उसी राशि से जैरवाद भूमि का सुधार किया व खातेदारी जारी करवायी, जो पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है। वादीगण व प्रतिवादी जैरवाद भूमि पर काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करने लगे। वर्ष 1996 में प्रतिवादी सं. 1 के मन में बदनियती आ गई और वादीगण को पैतृक भूमि से बेदखल करना चाहा, जिस पर पंचायत हुई, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण को 7–7 बीघा भूमि की लिखत पंचायत के समक्ष बही में लिख कर दे दी एवं कब्जा वादीगण का शुरू से ही 8–8 बीघा भूमि पर चला आ रहा था। बही में यह भी लिखा है कि वादीगण के पास जब भी रजिस्ट्री खर्च का पैसा होगा, प्रतिवादी सं. 1, वादीगण के पक्ष में बैयनामा करवा देगा। इकरारनामे के दिन से ही घरू बंटवारा के अनुसार वादीगण का 16 बीघा व प्रतिवादी सं. 1 का 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से मुताबिक लिखत इकरारनामा, वादीगण के पक्ष में बैयनामा तस्दीक करवाने का कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 जैरवाद भूमि अपने नाम अंकित होने का फायदा उठाकर किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दे रहा है, इसलिए वादीगण के कब्जा काश्त की चक 2 बी.एच.एम. के पत्थर नं. 94/384 के किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 = 16 बीघा भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2009 (1) पेज सं. 369, आर.आर.डी. 1996 पेज सं. 337, आर.आर. टी. 2014 (1) पेज सं. 545 व सी.जे. (सिविल) (राज.) 2017(3) पेज सं. 1504 की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब–दावा मय अतिरिक्त कथन व काउण्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने वाद के माध्यम से केवल मात्र झूठी कहानी प्रस्तुत की है। वादीगण जैरवाद चक 2 बी.एच.एम. के पत्थर नं. 94/384 व 95/384 में कुल 6.453 है0 भूमि में ना तो खातेदार कृषक हैं व ना ही कब्जेदार काश्त व मालिक

क्रमशः..... पेज 7 पर

(श्री गंगानगर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:24:50 IST
Reason: SelfAttested

की श्रेणी में नहीं आते जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत भी नहीं आते। जैरवाद भूमि पूर्व 55 की प्रतिवादी सं. 1 के नाम आवंटनशुदा है। वादीगण ने गांव झुमियांवाली की भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया व ना ही प्रतिवादी ने ऐसी किसी भूमि का बेचान किया है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पिता के स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रतिवादी ने ही वादीगण का पालन–पोषण किया। पंचायत में वादीगण को जैरवाद भूमि 3–4 साल के लिए बीजान्त के लिए दी थी। अब वादीगण के मन में लालच आ गया है। जैरवाद भूमि पैतृक नहीं, बल्कि प्रतिवादी की स्वयं अर्जित है। मौका पर कब्जा प्रतिवादी का है, वादीगण का किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी जैरवाद रकबा का अंकित खातेदार कृषक है। अंकित खातेदार के विरुद्ध किसी को अनुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। वादीगण द्वारा बिना उचित ठोस दस्तावेज के दावा पेश किया गया है। मात्र एक बही अथवा कच्चे कागज को वाद–पत्र की आधारशिला नहीं बनाया जा सकता। इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय में नहीं व इकरारनामा पंजीकृत होना चाहिए। वाद–पत्र के साथ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह वेस्ट पेपर की तारीफ में आता है। जैरवाद भूमि को वादीगण ने पैतृक होना सिद्ध नहीं किया है। वाद वादीगण निरस्त किये जाने, एवं वादीगण को प्रतिवादी के कब्जा में दखलन्दाजी नहीं करने व मौका पर शान्ति बनाये रखने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखकर वाद निर्णय की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य व न्याय निर्णयों का ध्यानपूर्वक व सम्मानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

तनकी नं. 1 – <u>आया कि वादीगण चक 2 बी.एच.एम. का किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 कुल 16.00 बीघा, जो कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित है, प्रतिवादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा सिद्ध किया जाना अनिवार्य है। वादीगण ने वाद–पत्र के साथ पंचायत के समक्ष बही में लिखत इकरारनामा दिनांक 03.12.1996 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ने जैरवाद भूमि का तीनों भाइयों में करीब 20 वर्ष से बंटवारा किये होने व जब भी भाइयों/वादीगण के पास रजिस्ट्री हेतु उचित राशि होगी, उस समय 7–7 बीघा भूमि की रजिस्ट्री उनके पक्ष में करवाना स्वीकार किया है। उक्त इकरारनामे में बतौर गवाह उपस्थित व्यक्तियों ने अपने शपथ–पत्रों के माध्यम से इकरारनामा की सत्यता व वादीगण के कब्जा को स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 1 ने साक्ष्य में प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र की जिरह में भी जैरवाद 16.00 बीघा भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। हालांकि उक्त दस्तावेज पंजीकृत नहीं है। मुताबिक जमाबन्दी चक 2 बी.एच.एम. सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 20/18 में अंकित पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 1 ता 25 = 6.200 है0 व पत्थर नं. 95/384 के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 6.453 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, लेकिन पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 की भूमि पर वादीगण ने अपना कब्जा अर्सादराज से शपथ–पत्रों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के माध्यम से सिद्ध किया है। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी. 2009 (1) पेज सं. 369 के अनुसार "Unregistered document can be used for collateral purpose to prove possession." अर्थात "अपंजीकृत दस्तावेज का उपयोग कब्जा साबित करने हेतु संपार्श्विक प्रयोजन हेतु किया जा सकता है। वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – <u>आया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित भूमि पैतृक भूमि है?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण ने जैरवाद भूमि का अर्जन, पंजाब के ग्राम झुमियांवाली की पैतृक भूमि के बेचान किये जाने पर होना अंकित किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पंचायत के समक्ष बही में लिखत इकरारनामा दिनांक 03.12.1996 में अंकित गवाहान के शपथ–पत्रों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि ग्राम झुमियांवाली में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की लगभग 5.00 बीघा पैतृक भूमि थी जिसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विक्रय किया गया। स्वयं प्रतिवादी ने वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का संयुक्त परिवार होना स्वीकार किया है, प्रतिवादी सं. 1 ने जैरवाद भूमि स्वयं को

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

आवंटनशुदा बताई है लेकिन आय के किस स्त्रोत द्वारा भूमि आवंटित हुई, वर्णित नहीं है, इसलिए जैरवाद भूमि को पैतृक भूमि की श्रेणी में माना जा सकता है। तनकी नं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये इकरारनामा से वादी व प्रतिवादी द्वारा आपस में बंटवारा कर लिया है। वादीगण का 16.00 बीघा, प्रतिवादी सं. 1 का 10.00 बीघा पर मौका पर काश्त है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 से है, जो बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 ने साक्ष्य में प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र की जिरह में भी जैरवाद चक 2 बी.एच.एम. की 26 बीघा भूमि में से 16.00 बीघा भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त व शेष 10 बीघा भूमि पर स्वयं के कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, इसलिए तनकी नं. 3 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया वाद अन्तर्गत भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है, वादीगण का कोई हक व हिस्सा बनता है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 2 से है जो बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है, जिसमें वादीगण द्वारा वादाधीन भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी की सिद्ध की जा चुकी है, जिसमें वादीगण भी अपना हक व हिस्सा रखते हैं, इसलिए तनकी नं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई उचित दस्तावेज या न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 91, 92(क) व 188 के अन्तर्गत अपना यह वाद प्रस्तुत कर पंचायत के समक्ष बही में लिखत इकरारनामा के आधार पर केवल मात्र अपने कब्जा काश्त की भूमि की सुरक्षा हेतु चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, किसी प्रकार की टाईटल या खातेदारी की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई उचित दस्तावेज या न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह तनकी नं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 6 – आया प्रतिवादी वादीगण के खिलाफ जरिये काउण्टर क्लेम चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई उचित दस्तावेज या न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने साक्ष्य में प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र की जिरह वकील वादी में भी जैरवाद चक 2 बी.एच.एम. की 26 बीघा भूमि में से 16.00 बीघा भूमि पर पिछले कई वर्षों से वादीगण के कब्जा काश्त व शेष 10 बीघा भूमि पर स्वयं के कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई उचित दस्तावेज या न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह तनकी नं. 6 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होने व तनकी नं. 1 से 4 बहक वादीगण व तनकी नं. 5 एवं 6 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित होने से वादीगण का वाद सिद्ध होता है, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम पुत्र सहीराम के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 बी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 1 ता 25 = 6.200 है0 व पत्थर नं. 95/384 (15) के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 6.453 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से वादीगण के कब्जा काश्त की पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 = 3.923 है0 कमाण्ड भूमि हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की उक्त कब्जा काश्त की भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादी स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. देवाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. सन्तराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी चक 6 बी.एच.एम. रूपरामवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 91, 92(क) व 188 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 90 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीगण श्री रामप्रताप तिवाड़ी व श्री कैलाश पारीक एवं अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री अशोक कुमार छाबड़ा तथा पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी प्रतिवादी सं. 1 सुरजाराम पुत्र सहीराम के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 बी.एच. एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 1 ता 25 = 6.200 है0 व पत्थर नं. 95/384 (15) के किला नं. 1 = 0.253 है0, कुल 6.453 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में से वादीगण के कब्जा काश्त की पत्थर नं. 94/384 (14) के किला नं. 6, 11 ता 15, 16 ता 25 = 3.923 है0 कमाण्ड भूमि हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की उक्त कब्जा काश्त की भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादी स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 02.09.2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:24:50 IST
Reason: SelfAttested